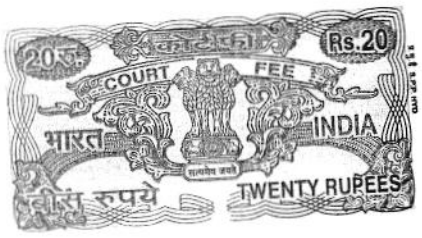

(104)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अपील प्रकरण क्रमांक /2018 जिला – होशंगाबाद

मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्राईवेट लिमिटेड सेहतगंज जिला – रायसेन (म.प्र.)

-- अपीलार्थी

विरूद्ध

1– उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, भोपाल (म.प्र.)

2– सहायक आबकारी अधिकारी जिला – होशंगाबाद म.प्र.

3– जिला आबकारी अधिकारी मैसर्स सोम डिस्टलरीज प्राईवेट लिमिटेड सेहतगंज जिला – रायसेन (म.प्र.)

-- प्रत्यर्थीगण

न्यायालय/कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा पृष्ठां. क्रमांक 5 (1)/2018–19/4055 में पारित आदेश दिनांक 31.07.2018 के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 62 के अन्तर्गत बने अपील रिवीजन तथा रिव्यू नियमों के पैरा (2) सी के अन्तर्गत अपील।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक अपील/5276/2018/ होशं./आ.अ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26/6/19	अपीलार्थी द्वारा यह अपील म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 (जिसे संक्षेप में केवल अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 62 (2)(सी) के अन्तर्गत आबकारी आयुक्त, म.प्र. ग्वालियर द्वारा पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)2018-19/4055 में पारित आदेश दिनांक 31-7-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्र क्रमांक 5(1)2016-17/150 दिनांक 29-4-2016 द्वारा वर्ष 2016-17 के लिए अपीलार्थी कम्पनी को उसे स्वीकृत प्रदाय क्षेत्र जिला होशंगाबाद के मद्यभाण्डागारों में बोतलबंद देशी मदिरा के प्रदाय के 5 दिवस समतुल्य निर्धारित न्यूनतम संग्रह रखे जाने के निर्देश दिये गये थे । उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, भोपाल के प्रतिवेदनों के अनुसार अपीलार्थी कम्पनी द्वारा मद्यभाण्डागार होशंगाबाद पर माह अप्रैल, 2016, मई 2016, जून, 2016 एवं मार्च 2017 में विगत माह के 5 दिन के औसत प्रदाय के समतुल्य भरी हुई बोतलबंद देशी मदिरा का निर्धारित न्यूनतम संग्रह नहीं रखा गया है । अपीलार्थी कम्पनी द्वारा की गई उक्त अनियमितता के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया । अपीलार्थी का उत्तर समाधानकारक नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय ने पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)2018-19/4055 में दिनांक 31-7-2018 को आदेश पारित कर अपीलार्थी कम्पनी द्वारा म.प्र. देशी स्प्रिट नियम, 1995 (जिसे संक्षेप में म.प्र. देशी स्प्रिट नियम कहा जायेगा) के नियम 4(4) का उल्लंघन किये जाने से नियम 12(1) के अंतर्गत दण्डनीय होने के कारण अपीलार्थी कम्पनी पर रूपये 15,000/- शास्ति अधिरोपित करने के साथ ही अपीलार्थी कम्पनी द्वारा उपरोक्त देशी मदिरा स्टोरेज मद्यभाण्डागार पर प्रश्नाधीन अवधि में कुल 79 दिन, विगत माह के 5 दिन के औसत प्रदाय के समतुल्य भरी हुई बोतलबंद देशी मदिरा का निर्धारित न्यूनतम संग्रह नहीं रखे जाने के कारण रूपये 250/- प्रतिदिन के मान से 19,750/- रूपये शास्ति अधिरोपित करते हुए कुल 34,750/- रूपये जमा करने के आदेश दिये गये । आबकारी आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । 3/ अपीलार्थी कम्पनी के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी को सुनवाई का	

समुचित अवसर दिये बिना ही आलोच्य आदेश पारित किया गया है, अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि विपरीत है । यह भी कहा गया कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा निर्धारित न्यूनतम स्कंध हमेशा रखा गया था और किसी प्रदाय क्षेत्र में मदिरा प्रदाय विफल नहीं हुआ है, न ही शासन को राजस्व की कोई हानि हुई है और न ही किसी लायसेंसी द्वारा हुए नुकसान की पूर्ति की मांग शासन से की गई है, इस कारण अपीलार्थी कम्पनी पर शास्ति अधिरोपित नहीं की जा सकती । इस तर्क के समर्थन में ए.आई.आर. 1970 सुप्रीम कोर्ट 253, ए.आई.आर. 1980 सुप्रीम कोर्ट 346, 1985 सुप्रीम कोर्ट 285 एवं 1990 सुप्रीम कोर्ट 1979 के न्याय दृष्टांतों का उल्लेख किया गया । तर्क में यह भी कहा गया कि शासन को क्या हानि हुई है, यह प्रमाण भार शासन पर था, जिसे शासन द्वारा प्रमाणित नहीं किया जा सका है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि उभय पक्ष के मध्य एक संविदा है और भारतीय संविदा अधिनियम, 1972 की धारा 74 के प्रावधानों के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ए.आई.आर. 1970 सुप्रीम कोर्ट 1955 एवं ए.आई.आर. 1973 सुप्रीम कोर्ट 1098 में यह न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि जब राज्य शासन को कोई हानि ही नहीं हुई है तब अपीलार्थी कम्पनी पर शास्ति नहीं लगाई जा सकती । यह भी कहा गया कि संविदा दोनों पक्षों पर बंधनकारी है, जिसके अंतर्गत किसी एक पक्ष को हुई हानि के लिए उस सीमा तक हानि की वसूल की जा सकती है । किसी शर्त के उल्लंघन पर प्रतिकात्मक शास्ति लगाई जा सकती है और संभावना के आधार पर मनमाने ढंग से शास्ति अधिरोपित करना अवैधानिक कार्यवाही है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं दस्तावेज पर बिना विचार किए मनमाने रूप से आदेश पारित किया है, जो कि अवैधानिक एवं अनियमित होकर निरस्त किए जाने योग्य है ।

4/ प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

1. देशी स्प्रिट के नियम 4(4) जो कि आज्ञापक उपबंध है, के अनुसार-

> 4. Manufacture, working & Control:---
>
> (4) The license shall maintain at the distillery the minimum stock of spirit as prescribed by the Excise Commissioner from time to time."

2. अपीलार्थी इकाई वर्ष 2016-17 के लिए सी.एस. 1 लाइसेंस प्रयाय किया गया था और सी.एस. 1 लाइसेंस की शर्त के अनुसार ईकाई को विगत माह 5

दिन के औसत प्रदाय के समतुल्य भरी हुई बोतलबंद देशी मदिरा का संग्रह रखना अनिवार्य है ।

4. उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता के प्रतिवेदन के अनुसार अपीलार्थी कम्पनी द्वारा होशंगाबाद देशी मदिरा स्टोरेज मदिरा भाण्डागार पर प्रश्नाधीन अवधि में कुल 79 दिवस विगत माह 5 दिन के औसत प्रदाय के समतुल्य भरी हुई बोतलबंद देशी मदिरा का संग्रह नहीं रखा गया है ।

5. उपरोक्तानुसार इकाई को आबकारी आयुक्त द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित करते हुए 7 दिवस के भीतर उत्तर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसकी तामीली अपीलार्थी के अधिकृत प्रतिनिधि को कराई गई है ।

6. अपीलार्थी के उपरोक्त कृत्य को आबकारी आयुक्त द्वारा म.प्र. देशी स्प्रिट नियम 1995 के नियम 4(4) का उल्लंघन है और उपरोक्त आधार पर नियम 12(1) के अधीन दण्डनीय होना मान्य किया गया और उपरोक्तानुसार मद्यभाण्डागार पर 79 दिवस का न्यूनतम स्टॉक भण्डार नहीं पाया गया और उपरोक्त के आधार पर 250/- रूपये प्रतिमाह के हिसाब 19,750/- रूपये एवं न्यूनतम स्टॉक नहीं रखे जाने से 15,000/- रूपये शास्ति अधिरोपित कर कुल 34,750/- की शास्ति अधिरोपित की गई ।

7. उपरोक्त अधिरोपित इकाई के म.प्र. देशी स्प्रिट नियम का उल्लंघन किये जानेसे 4(4) का उल्लंघन किये जाने से नियम 12(1) अनुसार यह दण्डनीय होने से उपरोक्त के आधार पर अनियमितता एवं विहित प्रावधानों के उल्लंघन होने पर इकाई पर 34,750/- रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई है ।

8. अपीलार्थी द्वारा अपील मेमों के साथ आबकारी आयुक्त के समक्ष कोई भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया, जिससे यह दर्शित हो कि अपीलार्थी द्वारा विहित वैधानिक नियमानुसार 25 प्रतिशत का संग्रह कांच की बोतल में रखा गया और न ही ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह दर्शित हो कि अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है । अपीलार्थी द्वारा मेमों में वर्णित न्याय दृष्टांत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक 60/2016 मेसर्स सोम डिस्टलरीज आदि में विचारण में लेते आदेश पारित किया गया है और उपरोक्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि नियम 12 स्प्रिट नियम 1995 का उल्लंघन होने के कारण शास्ति अधिरोपित की गई, जिसमें व्यक्तिगत हानि आवश्यक नहीं है और शास्ति अधिरोपित किए जाने से नियम का उल्लंघन किए जाने हेतु पर्याप्त है । उनके द्वारा अपील निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख से स्पष्ट है कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा देशी मदिरा स्टोरेज मद्यभाण्डागार होशंगाबाद पर माह अप्रैल, 2016, मई 2016, जून, 2016 एवं मार्च 2017 में कुल 79 दिन विगत माह के 5 दिन के औसत प्रदाय के समतुल्य भरी हुई बोतलबंद देशी मदिरा का निर्धारित न्यूनतम संग्रह नहीं रखा

गया है, जबकि म.प्र. देशी स्प्रिट नियमों के नियम 4(4) के अनुसार प्रदाय संविदाकार द्वारा स्टोरेज मद्य भाण्डागार में विगत माह के 5 दिन के औसत प्रदाय के समतुल्य भरी हुई बोतलबंद देशी मदिरा का निर्धारित न्यूनतम संग्रह रखना अनिवार्य है । भले ही अपीलार्थी द्वारा स्टोरेज मद्य भाण्डागार में विगत माह के 5 दिन के औसत प्रदाय के समतुल्य भरी हुई बोतलबंद देशी मदिरा का निर्धारित न्यूनतम संग्रह नहीं रखने से शासन को राजस्व की हानि नहीं हुई हो, परन्तु अपीलार्थी कम्पनी को विहित वैधानिक व्यवस्था का पालन करना आवश्यक है, जिसका पालन अपीलार्थी कम्पनी द्वारा नहीं किया गया है । अत: अपीलार्थी कम्पनी का उक्त कृत्य म.प्र. देशी स्प्रिट नियमों के नियम 4(4) का उल्लंघन होकर नियम 12(1) के तहत दण्डनीय होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी पर 15,000/- रूपये शास्ति अधिरोपित करते हुए अपीलार्थी कम्पनी द्वारा स्टोरेज मद्य भाण्डागार में विगत माह के 5 दिन के औसत प्रदाय के समतुल्य भरी हुई बोतलबंद देशी मदिरा का निर्धारित न्यूनतम संग्रह नहीं रखने के कारण 250/- रूपये प्रतिदिन के मान से 19,750/- रूपये अधिरोपित करते हुए कुल 34,750/- रूपये जमा करने के जो आदेश दिये गये हैं, वह उचित होने से उसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । अत: इस संबंध में अपीलार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है । दर्शित परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 31-7-2018 उचित होने से स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष